लोक लेखा समिति

स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों पर से अधिक व्यय (2017-18) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन

पैरा सं.	टिप्पणियां/सिफिरशों का सार
1.	**समिति ने वर्ष 2017-18 के सिविल, रक्षा, डाक सेवाएं और रेल से संबंधित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से यह पाया है कि चार अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत पांच मामलों में 99610.31 करोड़ रूपए का अधिक व्यय किया गया था। समिति ने यह नोट किया है कि गत वर्ष की तरह, अधिक व्यय की अधिकांश राशि जो कि 92461.31 करोड़ रूपए थी, सिविल पक्ष पर कम की गई थी जिसमें से 92333.69 करोड़ रूपए की राशि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा संचालित अनुदान सं. 28 - `ऋण की अदायगी` के अंतर्गत ही खर्च की गई थी और उसके बाद 127.62 करोड़ रूपए की राशि अनुदान सं. 39 - `पेंशन` के अंतर्गत खर्च की गई थी। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित दो अनुदानों के तहत तीन मामलों में कुल 7149.00 करोड़ रूपए का अधिक व्यय हुआ। समिति चाहती है कि ऐसी विफलता जो कि बजट प्रावधानों में आवश्यक तत्परता में कमी, बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पूरे वर्ष अधिक व्यय के प्रवाह की निगरानी करने में लापरवाही बरतने और उनके द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों का पालन न करने के कारण उत्पन्न हुई हो, से सख्ती के साथ निपटा जाए ताकि भविष्य में इतनी बड़ी मात्रा में अधिक व्यय करने से बचा जा सके।**
2.	**पिछले दस वर्षों के दौरान, किए गए अधिक व्यय की जांच से पता चलता है कि सिविल मंत्रालय/विभाग पिछले दस वित्तीय वर्षों से लगातार बड़ी मात्रा में अधिक व्यय कर रहे हैं। समिति यह नोट करके चिंतित है कि सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान, सबसे अधिक**

	व्यय अर्थात् दो अनुदानों/विनियोगों में 189154.26 करोड़ रूपए किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित अनुदानों/विनियोगों के मामले में, पिछले वर्ष अर्थात 2016-17 में हुए अधिक व्यय की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अधिक व्यय में भारी वृद्धि देखी गई है और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भी यह आंकड़ा 7149.00 करोड़ रूपए तक जा पहुंचा है। समिति यह नोट करते हुए कि उक्त मंत्रालयों ने उनके द्वारा संचालित अनुदानों/विनियोगों में, इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एक मजबूत तंत्र को लागू करने की ओर गंभीरता से प्रयास नहीं किए हैं, समिति ने सिफारिश की है कि सरकार उन मामलों की ईमानदारी से केस स्टडी करे जहां लगातार बजटीय आबंटनों से अधिक व्यय हुआ था और बजटीय नियंत्रण के मौजूदा तंत्र को मजबूत करे जिससे कि भविष्य में अधिक व्यय करने की चली आ रही प्रवृत्ति को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
3.	**समिति ने चिंता के साथ यह नोट किया है कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी पांच मामलों में अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों को प्राप्त करने के बाद भी अधिक व्यय किया गया। समिति यह नोट करते हुए कि संबंधित मंत्रालय न केवल वास्तविक और व्यावहारिक बजट अनुमान करने में विफल रहे हैं, बल्कि यहां तक कि अनुपूरक मांगों के अनुसार, प्रदत्त राशि भी उन्हें अधिक व्यय करने से रोक नहीं पाई, समिति अपेक्षा करती है कि भविष्य में वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय अनुपूरक अनुदानों के चरण पर व्यय के व्यावहारिक आंकडे प्रस्तुत करके अधिक व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। यह जरूरी है कि वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पूरे वर्ष व्यय की प्रवृत्ति की कड़ी निगरानी हेतु एक प्रभावी निगरानी तंत्र तैयार करें और जब अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो तो वे अपनी आवश्यकता का ठीक से आकलन करें और यथासमय अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने हेतु संसद**

	में संपर्क करें। समिति ने मंत्रालयों/विभागों से भी यह आग्रह किया है कि वे अपने कम्प्यूटीकरण और नेटवर्किंग की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करें जिससे व्यय की प्रगति की कड़ाई से निगरानी हो सके और यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यय अनुपूरक अनुदानों को प्राप्त करने के बाद भी अपनी सीमा से ऊपर न हो, यथासमय कार्रवाई की जाए।
4.	**समिति ने पाया है कि विनियोग सं. 38 ऋण की अदायगी के कैपिटल-चार्ज सेक्शन के तहत- वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने 92333.69 करोड़ रुपए का व्यय किया था। समिति ने यह भी पाया है कि इस विभाग ने जुलाई, 2017 और मार्च में 6,94,966.18 करोड़ रुपए के अनुपूरक विनियोग की सहायता ली। इसलिए, समिति यह चाहती है कि आवश्यक निधि का वास्तविक मूल्यांकन करने में सफल न होने के कारणों का विश्लेषण किया जाए ताकि इस विनियोग के तहत निधियों का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके। यह देखते हुए कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने नियमित आधार पर राज्य सरकारों द्वारा निवेश/विनिवेश के सांख्यिकीय आंकड़ों को रखते हुए, इस विनियोग में अधिक व्यय से बचने के लिए कुछ निश्चित प्रयास किए हैं ताकि वर्ष के अंत में राशि चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि पर्याप्त रूप से प्रदान की जाए, समिति चाहती थी कि भविष्य में, इस विनियोग के तहत अधिक व्यय को नियंत्रित करने के इन प्रयासों के परिणामों से उसे अवगत कराया जाए।**
6.	**समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या 20 रक्षा सेवाएं के राजस्व खंड (स्वीकृत)- के तहत 3391.93 करोड़ रूपए का अधिक व्यय हुआ था। यह नोट करते हुए कि मंत्रालय ने संबंधित बजट नियंत्रण प्राधिकारियों को अधिक व्यय से बचने के लिए न केवल निर्देश जारी किए थे बल्कि समिति ने यह सिफारिश की थी कि बजट अनुमान चरण पर बेहतर दूरदर्शिता को सुगम बनाने के लिए एक ठोस और सुदृढ़ तंत्र बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है और पूरे वित्त वर्ष में व्यय की**

	निरपवाद रूप से सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए।
7.	**समिति ने नोट किया है कि अनुदान सं. 21 - रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय के पूंजी खंड (स्वीकृत) के तहत 3552.72 करोड़ रूपए का अधिक व्यय हुआ था। समिति यह नोट कर चिंतित है कि बजट प्रक्रिया में सुधार की दिशा में ठोस और प्रभावी उपाय करने के बजाय मंत्रालय ने अधिक व्यय से बचने के लिए, व्यय के प्रवाह की निगरानी करने के मात्र निर्देश जारी किए थे। समिति ने पाया कि अधिक व्यय के एक बड़े हिस्से से बचा जा सकता था यदि मंत्रालय वित्त वर्ष के दौरान, वास्तविक बजट जरूरत के प्रति अधिक विवेकपूर्ण और संवेदनशील होता। इसलिए समिति ने यह सिफारिश की है कि अधिक व्यय को नियंत्रित करने के लिए बारंबार निर्देश जारी करने के बजाय मंत्रालय को चाहिए कि वे बजट नियंत्रण के लिए प्रगतिशील व प्रभावी तरीके शुरू करें। समिति ने महसूस किया है कि रक्षा मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों/विभागों की अच्छी प्रथाओं को अपनाना चाहिए और भविष्य में अधिक व्यय पर `शून्य` रिपोर्ट की रिपोर्टिंग करने की दिशा में बढ़ना चाहिए।**